km Noorpur Road
PO Nehtaur, District Bijnor - 246 733 (UP)
Phone 01344-262 500
Email: vkinternationalschool@gmail.com
www.vkinternationalschool.in

VK INTERNATIONAL SCHOOL
EDUCATION IS ENLIGHTENMENT

Attachment

Recognition letter along with Intimation to the Basik Siksha Adhikari, Bijnor.

PRINCIPAL
V.K. INTERNATIONAL SCHOOL
NEHTAUR (BIJNOR) U.P.
AFF. NO.-2132665

Chairman
V.K. International School

km Noorpur Road
PO Nehtaur, District Bijnor - 246 733 (UP)
Phone 01344-262 500
E-mail: vkinternationalschool@gmail.com
www.vkinternationalschool.in

VK
INTERNATIONAL
SCHOOL

Ref No.........................

Date.....................

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

बिजनौर।

महोदय,

आपके कार्यालय के आदेश पत्रांक/बेसिक/मान्यता/10066–71/2015–16 दिनाँक 06.01.2016 के द्वारा वी0के0 इन्टरनेशनल स्कूल नूरपुर रोड नहटौर (बिजनौर) को मान्यता दी गयी थी। वर्तमान सत्र हेतु सी0बी0एस0ई0 बोर्ड में सम्बद्धता हेतु आवेदन करना चाहते है।

सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(सुधीर कुमार)
चैयरमैन
वी0के0इन्टरनेशनल स्कूल,
नूरपुर रोड नहटौर।

Shri Virendra Kumar
Educational Society
Chairman/Secretary

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है –

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–10856 वर्ग मीटर
(2) कुल निर्मित क्षेत्र–2383.63 वर्ग मीटर
(3) कीडा–स्थल का क्षेत्रफल–1061.97 वर्ग मीटर
(4) कक्षाओं की संख्या–10
(5) प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष–04
(6) बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय- उपलब्ध है।
(7) पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
(8) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–योजना लागू नही है।
(9) बाधा रहित पहुँच–है।
(10) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणो/पुस्तकालय की उपलब्धता--उपलब्ध है।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या ...14.......... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0बेसिक/ 15066-71 /2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
2–सचिव,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।
5–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

7.

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक
वी0के0इन्टरनेशनल स्कूल,नूरपुर रोड,नहटौर, ब्लाक–आकू
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक:बेसिक / मान्यता / 10066-71 / 2015–16 दिनांक 06/01/16

विषय:– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं वी0के0इन्टरनेशनल स्कूल,नूरपुर रोड,नहटौर, ब्लाक–आकू (बिजनौर) को दिनांक 01–04–2016 से दि0 31–03–2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा–8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है –

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2 विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010 (उपाबंध 2) के उपबधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा।

5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जायेगा;

(6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें,

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है,और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगें।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और मानको को बनाए रखेगा।